सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर

(पीठासीन अधिकारी : चांदमल वर्मा, आर.ए.एस.)

प्रकरण स. : 01/2017 (प्रा.प. आवंटन निरस्त)
RCMS No.: 2017/00001

अनवान

1. श्री कालू पिता कमला जी भील, निवासी ओवरा, तहसील झाड़ोल, जिला उदयपुर।
2. श्री देवीलाल पिता कालू भील, निवासी ओवरा, तहसील झाड़ोल, जिला उदयपुर।

– प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री बाबूलाल पिता नाना जी भील, निवासी ओवरा, तहसील झाड़ोल, जिला उदयपुर।
2. श्री लक्ष्मण पिता नाना जी भील, निवासी ओवरा, तहसील झाड़ोल, जिला उदयपुर।
3. सरकार जरिये तहसीलदार झाड़ोल, जिला उदयपुर।

– विपक्षीगण

उपस्थित

1. श्री, माधवलाल जैन अभिभाषक प्रार्थीगण।
2. श्री संजय बोहरा, अभिभाषक विपक्षी संख्या 1 व 2

अपील प्रार्थनापत्र अंतर्गत नियम 14 (4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 बावत आवंटन निरस्त कराये जाने

* निर्णय *

दिनांक 03-08-2018

प्रकरण मे संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है इस न्यायालय के प्रकरण संख्या 14/2008 अनवान कालू पिता कमला भील व अन्य बनाम बाबूलाल पिता नाना भील व अन्य मे पारित निर्णय दिनांक 24.12.2010 द्वारा अपीलान्ट्स की अपील स्वीकार की जाकर विपक्षी संख्या 1 व 2 के पक्ष मे किये गये आवंटन दिनांक 24.11.2005 को निरस्त करने का आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश के विरूद्व विपक्षी संख्या 1 व 2 द्वारा माननीय न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर में प्रथम अपील किये जाने पर माननीय न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर के प्रकरण संख्या 02/2011 में निर्णय दिनांक 27.12.2016 अनुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर इस न्यायालय का निर्णय दिनांक 24.12.2010 को अपास्त किया जाकर उनके द्वारा दिये गये प्रेक्षणों को दृष्टिगत रखते हुए उभय पक्षों की साक्ष्य सबूत प्राप्त कर एवं सुनकर विधि सम्मत निर्णय पारित किये जाने हेतु प्रकरण पुनः इस न्यायालय में प्रति प्रेषित किया।

माननीय न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर द्वारा पारित उक्त आदेश की पालना मे प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर किया जाकर उभय पक्षकारान को सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर प्रदान किया गया। प्रकरण मे अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 व 2 द्वारा एड़वाईजरी कमेटी के बैठक रजिस्टर, आवंटन पत्रावली, जमाबंदी, खसरा गिरदावरी,

धारा 91 के नोटिस, लगान की रसीदे, नक्शा ट्रेस इत्यादि की प्रति न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की। प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रकरण मे माननीय न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झाड़ोल, जिला उदयपुर द्वारा प्रकरण संख्या 236/2006 अंतर्गत धारा 143, 447, 427, 149 भा. द.स. मे पारित निर्णय दिनांक 21.02.2011 की प्रति न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई। प्रकरण में तहसीलदार से मौका रिपोर्ट मंगवायी जाकर प्रकरण मे बहस हेतु तिथि निर्धारित की गई।

प्रकरण मे प्रार्थीगण एवं रेस्पोडेन्ट्स के अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई। प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा अपनी लिखित बहस मे निवेदन किया कि इस न्यायालय मे दिनांक 21.08.2008 को प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14(4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 का प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि राजस्व ग्राम ओवरा, तहसील झाड़ोल के साबिक आराजी संख्या 298 रकबा 21 बीघा भूमि स्थित हो इसके हाल आराजी संख्या 80 रकबा 0.7600हे. मे 3 बीघा भूमि पर प्रार्थीगण अपने बाप दादाओं के समय से संयुक्त रूप से काबिज चले आ रहे है एवं कब्जा होने का साक्ष्य के रूप मे पेनाल्टी की रसीदे एवं सूचना पत्र उनके पास उपलब्ध है। उपखण्ड़ अधिकारी, झाड़ोल द्वारा आवंटन नियमों के विपरित दिनांक 24.11.2005 को विपक्षी संख्या 1 व 2 को उक्त भूमि का आवंटन कर दिया गया। विपक्षीगण को उक्त आवंटित भूमि पर आवंटन से पूर्व अथवा आवंटन के पश्चात् कभी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा हैं। इस न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 24.12.2010 मे प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए वक्त आवंटन कोरम अपूर्ण होने, आवंटन प्रार्थना पत्र पर मात्र विपक्षी संख्या 1 के हस्ताक्षर होने, आवंटन पत्रावली पर मात्र उपखण्ड़ अधिकारी एवं सरपंच के हस्ताक्षर होने, उद्घोषणा जारी न होने, प्रार्थीगण के पास धारा 91 के नोटिस वर्ष 1991, 1994, 1998, 1999, 2002 के उपलब्ध होने, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के पास धारा 91 के नोटिस मात्र वर्ष 2004 का उपलब्ध होने आदि तथ्यों को ध्यान मे रखते हुए विपक्षी संख्या 1 व 2 के पक्ष मे किये गये आवंटन को निरस्त करने का आदेश पारित किया। उक्त आदेश के विरूद्ध विपक्षी संख्या 1 व 2 द्वारा प्रथम अपील माननीय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर को प्रस्तुत करने पर माननीय अपील अधिकारी द्वारा अपने प्रकरण संख्या 02/2011 में निर्णय दिनांक 27.12.2016 द्वारा अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 24.12.2010 को अपास्त किया जाकर प्रकरण पुनः प्रति प्रेषित किया हैं। प्रार्थीगण द्वारा मामले मे साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर दिया जाने पर प्रार्थीगण द्वारा आदेश 7 नियम 14(3) का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र व निर्णय की प्रतियां पेश की गई हैं, जिस बाबत् विपक्षी संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता द्वारा कोई जवाब पेश नहीं किया गया हैं। प्रार्थना पत्र के साथ सलंग्न दो निर्णय की प्रतियों के निर्णय प्रार्थीगण के पक्ष मे हुए हैं। समस्त फौजदारी दावे विपक्षी संख्या 1 द्वारा प्रार्थीगण के विरूद्ध गलत एवं कब्जे काश्त मे रूकावट उत्पन्न करने के उद्देश्य किये गये हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार की जाकर विपक्षी संख्या 1 व 2 के पक्ष मे किये गये आवंटन को निरस्त किया जावे एवं पूर्व मे किये गये आवंटन निरस्ती आदेश को बहाल रखा जावें।

विपक्षी संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस पेश करते हुए न्यायालय के समक्ष निवेदन किया कि मौजा ओवरा, तहसील झाड़ोल के खसरा नम्बर 80 किस्म बिलानाम मे से

0.76हे. भूमि का आवन्टन विपक्षी संख्या 1 व 2 को नियमानुसार आवंटन सलाहकार समिति की राय से दिनांक 24.11.2005 को किया गया है एवं आवंटनशुदा भूमि का कब्जा पटवारी हल्का द्वारा विधिवत सुपुर्द किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा आवंटन निरस्ती प्रार्थना पत्र मे प्रस्तुत सारे तथ्य मनगढंत है। प्रार्थीगण का विवादग्रस्त भूमि पर कभी कब्जा काश्त नहीं रहा हैं। प्रार्थीगण द्वारा अन्य भूमि के सूचना पत्र व पेनाल्टी की रसीदे पेश की हैं। प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र यह कहीं नहीं दर्शाया है कि 21 बीघा भूमि के किस भाग पर उसका कब्जा हैं। मात्र विपक्षी संख्या 1 व 2 से पारिवारिक रंजिश के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। इस न्यायालय द्वारा पूर्व मे विपक्षी संख्या 1 व 2 के नाम किये गये आवंटन को खारिज करने का आदेश प्रदान करने पर विपक्षी संख्या 1 व 2 द्वारा प्रथम अपील भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर को पेश करने पर उनके द्वारा इस न्यायालय के आदेश दिनांक 24.12.2010 को निरस्त कर प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु प्रति प्रेषित किया हैं। प्रकरण मे तहसीलदार झाड़ोल द्वारा विवादित भूमि का उभय पक्ष की मौजुदगी मे मौका देखा गया है, जिसमे आराजी संख्या 80 रकबा 0.7600हे. भूमि के विपक्षी संख्या 1 व 2 खातेदार काश्तकार हो बैंक ऑफ बड़ोदा से लोन ले रखा है। यहां तक की बाबूलाल द्वारा खरीफ मे सोयाबीन व मक्के की फसल बुवाई की है एवं शेष भूमि पशु चराने के काम आती है। वर्णित आराजीयात पर विपक्षी संख्या 1 व 2 का कब्जा हैं। विपक्षी संख्या 1 व 2 द्वारा आवंटन नियमों की पालना करने से उन्हे नियमानुसार खातेदारी अधिकार दिये जा चुके हैं। विपक्षी संख्या 1 व 2 के अलावा आवंटन तिथि को अन्य व्यक्तियों को भी आवंटन किया गया था एवं आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटियों की लिस्ट के नीचे अपने हस्ताक्षर कर रखे हैं। प्रार्थीगण द्वारा आपसी पारिवारिक रंजिश के कारण आवंटन निरस्ती का प्रार्थना पत्र पेश किया है। विपक्षी संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस के साथ अपने समर्थन मे निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेश किये गये–

1. आर.आर.ड़ी 1993 पृष्ठ संख्या 417
2. आर.आर.ड़ी 1994 पृष्ठ संख्या 381
3. आर.आर.टी. 2011 फर्स्ट पेज 270
4. आर.आर.टी. 2010 फर्स्ट पेज 157
5. आर.आर.ड़ी. 2008 पृष्ठ संख्या 425 व 454
6. आर.आर.टी. 2006 सेकेण्ड़ पेज 1171 व 1220
7. आर.आर.टी. 2011 (1) पृष्ठ संख्या 383
8. आर.बी.जे. 2014 पृष्ठ संख्या 685

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर विपक्षी संख्या 1 व 2 के पक्ष मे किये गये आवंटन को बहाल रखा जावें।

प्रकरण मे तहसीलदार झाड़ोल द्वारा अपने पत्र क्रमांक भू.अ./2017/1819 दिनांक 01.01.2017 से प्रेषित मौका रिपोर्ट मे न्यायालय को अवगत कराया है कि ग्राम ओवरा की आराजी संख्या 80 रकबा 0.76हे. भूमि विपक्षी संख्या 1 व 2 क्रमशः बाबूलाल, लक्ष्मण पिता नाना

भील, सा.देह खातेदार के नाम दर्ज होकर हिस्सा बाबूलाल का बैंक ऑफ बड़ोदा शाखा झाड़ोल के नाम रहन दर्ज हैं। उक्त आराजी मे रकबा 0.04हे. पर सोयाबीन एवं 0.03हे. पर मक्के की फसल श्री बाबूलाल पिता नाना भील द्वारा फसल खरीफ 2074 मे बोई गई है तथा शेष रकबा 0.69हे. बीड़ होकर पशु चराई के काम मे लिया जा रहा हैं। मौके पर विवादित आराजीयात पर विपक्षी संख्या 1 व 2 का कब्जा हैं।

हमने उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस, पत्रावली मे उपलब्ध प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र, विपक्षी संख्या 1 व 2 के जवाब, तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट, माननीय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.12.2016 एवं उसमे वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया एवं उन पर गंभीरता से मनन किया। प्रकरण मे विवाद राजस्व ग्राम ओवरा, तहसील झाडोल के आराजी संख्या 80 रकबा 0.7600हे. भूमि का हैं, जिसका आवन्टन विपक्षी संख्या 1 व 2 को दिनांक 24.11.2005 को किया गया है। आवंटन पत्रावली की प्रति के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि विपक्षी संख्या 1 व 2 को किये गये आवंटन के समय कोरम पूर्ण नही था एवं आवंटन प्रार्थना पत्र पर मात्र विपक्षी संख्या 1 श्री बाबू के ही हस्ताक्षर है, जबकि आवंटन विपक्षी संख्या 1 व 2 दोनो को किया गया है। रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता द्वारा एड़वाईजरी कमेटी के बैठक रजिस्टर की प्रति न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है, जिसमे क्र.स. 11 पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 का नाम अंकित हो उपखण्ड़ अधिकारी, तहसीलदार, विकास अधिकारी एवं सरपंच के हस्ताक्षर मौजुद है, किन्तु यहां यह उल्लेखनीय है कि आवंटन पत्रावली आवंटन से संबंधित मूल एवं महत्वपूर्ण दस्तावेज हो आवंटन कमेटी के सदस्यों के हस्ताक्षर आवंटन पत्रावली पर उपलब्ध होना आवश्यक है। इसे सहवन से रह जाना या लिपिकीय त्रुटि नहीं माना जा सकता हैं। राजस्थान भू राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम, 1970 के नियम 13 (3–क) के अनुसार बैठक की कार्यवाही के लिए कोरम 3 सदस्यो का होगा, जिसमे से एक सदस्य जनप्रतिनिधि (राजस्थान विधानसभा का सदस्य जिसके निर्वाचन क्षेत्र मे ऐसी भूमि स्थित हो, पंचायत समिति का प्रधान एवं सरपंच मे से कोई एक) होगा, किन्तु उक्त आवंटन मे मात्र दो ही सदस्यो के हस्ताक्षर उपलब्ध होने से यह स्पष्ट है कि उक्त आवंटन के समय आवंटन कमेटी का कोरम पूर्ण नही था। इसके अतिरिक्त प्रार्थी द्वारा आराजी संख्या 80 के सम्बन्ध मे राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के नोटिस वर्ष 1991, 1994, 1998, 1999, 2002 के प्रस्तुत किये है, जो यह साबित करते है कि वर्ष 1991 मे विवादित आराजी के 0.20हे., वर्ष 1994 मे 0.20हे, वर्ष 1998 मे 0.50हे, वर्ष 1992 मे 0.50हे, वर्ष 2002 मे 0.05हे, पर प्रार्थीगणो का कब्जा रहा है एवं प्रार्थीगण ही सद्भावी काश्तकार के रूप मे उक्त भूमि पर आवंटन से पूर्व काबिज रहे हैं। विपक्षीगण द्वारा मात्र धारा 91 के नोटिस वर्ष 2004 की छायाप्रति प्रस्तुत की है अर्थात मात्र एक वर्ष पुराने अतिक्रमण के नोटिस के आधार पर विपक्षी संख्या 1 व 2 को उक्त भूमि का आवंटन किया गया है। इस प्रकार उक्त आवंटन मिसप्रजेन्टेशन एवं मिथ्या तथ्यों के आधार पर विपक्षी संख्या 1 व 2 को किया जाना प्रतीत होता है एंव मिसप्रजेन्टेशन एवं फ्रॉड़ आवंटन को किसी भी समय निरस्त किया जा सकता हैं। विपक्षीगण के अधिवक्ता का कथन है कि विवादित आराजीयात पर विपक्षी संख्या 1 व 2 को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है एवं मौका रिपोर्ट

अनुसार विपक्षी संख्या 1 व 2 ही विवादित आराजीयात पर काबिज है। यहां मात्र खातेदारी अधिकार को आधार मानकर विपक्षी संख्या 1 व 2 के आवंटन को बहाल नही रखा जा सकता हैं। माननीय उच्च न्यायालय की खण्ड़पीठ ने आर.आर.ड़ी 2002 पेज 1 मे यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि फ्रॉड़ और मिसप्रजेन्टेशन से किये गये कोई भी आवंटन कभी भी रद्द किये जा सकते हैं।

इस प्रकार माननीय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील अधिकारी द्वारा प्रकरण संख्या 02/2011 मे पारित निर्णय दिनांक 27.12.2016 मे प्रदत्त निर्देशानुसार उभय पक्षों को सुनने एवं साक्ष्य सबूत प्राप्त करने के उपरान्त हम प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित समझते है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14(4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 स्वीकार किया जाकर उपखण्ड़ अधिकारी झाड़ोल द्वारा मौजा ओवरा, तहसील झाड़ोल की आराजी संख्या 80 रकबा 0.7600हे. का विपक्षी संख्या 1 व 2 के पक्ष मे किया गया आवंटन दिनांक 24.11.2005 को निरस्त किया जाता है एवं तहसीलदार झाड़ोल को निर्देश दिये जाते है कि विपक्षी संख्या 1 व 2 को भूमि से बेदखल कर नियमानुसार भूमि को बिलानाम सरकार दर्ज करने की कार्यवाही करावें।

निर्णय आज दिनांक 03.08.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नंबर से कम किया जावे।

(चांदमल वर्मा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर